तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/7398/2006/चित्तौडगढ रामचन्द्र बनाम सोहनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2021	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित–</u>** श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक प्रार्थी श्री मोहित सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी **<u>आदेश</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 बाबत् विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण न्यायालाय उपखण्ड अधिकरी, बेगू के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(ए) सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया। जिसे उपखंड अधिकारी, बेगू ने अपने आदेश दिनांक 25–9–2006 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट एवं कारण रहित है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजात सरकारी रिकार्ड के दस्तावेजात है, जिनके फर्जी होने का कोई संदेह नहीं है। किन्तु सहवन से जबावदावा के समय यह दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिन्हें न्याय हित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था। उक्त दस्तावेज वाद के निस्तारण में आवश्यक दस्तावेज है, जिन्हें साक्ष्य में ग्रहण किया जाना आवश्यक है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/7398/2006/चित्तौडगढ रामचन्द्र बनाम सोहनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (ए) सीपीसी अपने नॉन स्पीकिंग आदेश से विधि विरूद्ध जाकर खारिज किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को उक्त दस्तावेजात हो रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये कथन किया कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे दावा दायरी के समय ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है एवं प्रतिवादी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण जरिये शपथ पत्र हो चुका है। इस स्टेज पर अब प्रार्थी/प्रतिवादी प्रकरण में दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं कर सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी को दस्तावेजात प्रस्तुत करने की कानून अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक रुप से खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की तात्विक या विधिक त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन एंव अध्ययन किया। पत्रावली पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात नवीन मिला खसरा भू प्रबन्ध, ख0न0 376 व 38 तथा जमाबंदी संवत खतौनी संख्या 42 संव 2026 से 2029, पुराना नक्शा ट्रेस आराजी नं0 207, नया नक्शा ट्रेस आराजी न0 376 प्रकरण संया 34/94 के बयान की नकल, खसरा गिरदावरी सं0 2057–2061 प्रस्तुत किये गये थे तथा प्रतिवादी को कानूनी सलाह के अभाव में उक्त दस्तावेजात जवाबदावे के साथ प्रस्तुत नही किये जा सके। जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(ए) सी0पी0सी0 के साथ प्रस्तुत किये गये थे। उक्त समस्त दस्तावेजात इन्हीं विवादित भूमियों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/7398/2006/चित्तौडगढ रामचन्द्र बनाम सोहनलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से संबंधित दस्तावेजात है। यह दस्तावेजात विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जो प्रकरण के गुणवगुण पर अंतिम परीक्षण व अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण व सहायक सिद्व होगें। अतः प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सी0पी0सी0 1(ए) सपठित धारा 151 सीपीसी को रूपये 2000/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2006 निरस्त किया जाता है और सबंधित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेकर विधिनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा रूपये 2000/– कोस्ट की राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली फैसलशुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुला न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	